



2026:AHC:54895

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 2017 सन् 2026

नायब खान उपनाम निम्मा

.....आवेदक(आवेदकों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों)

आवेदक के अधिवक्ता

: एहतेशाम अफसर खान

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 83

माननीय न्यायमूर्ति, सुभाष चंद्र शर्मा

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए., श्री नितेश कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।

यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मामला अपराध संख्या 1146 सन् 2025 भारतीय न्याया संहिता की धारा 190, 191(2), 191(3), 125, 352, 124(2), 351(3), 121, 221, 109, 299, 223, 61(2) और धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत, थाना बरदारी, जिला बरेली के मामले में अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वह निर्दोष हैं और उन्हें दंगा करने के अपराध में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिलिखित है। आवेदक को दंगा और सामान्य भूमिका के अलावा कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। दो व्यक्तियों को लगी चोटें मामूली प्रकृति की थीं। आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। आवेदक के आपराधिक इतिहास का उचित विवरण दिया गया है। अन्य नामजद और अज्ञात सह-आरोपी अर्थात् मुस्तकीम उपनाम मोहम्मद मुस्तकीम, उमेद उपनाम उमेद अहमद, आरिफ उपनाम आरिफ खान, मोहम्मद नईम कुरैशी उपनाम लाली और एक अन्य, अजमल रफी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 24.11.2025, 16.12.2025, 07.01.2026, 11.02.2026 और 27.02.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 41334 सन् 2025, 41167 सन् 2025, 45933 सन् 2025, 1121 सन् 2026 और 1095 सन् 2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। चूंकि आवेदक की भूमिका उन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सह-आरोपियों से भिन्न नहीं है जिन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। अंत में, यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक को तत्काल गिरफ्तारी का भय है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा, इसलिए अग्रिम जमानत का अनुरोध किया गया है।

विद्वान एजीए ने उपरोक्त प्रार्थना का विरोध किया लेकिन इस तथ्य से अस्वीकार नहीं कर सके कि उपरोक्त सह-आरोपियों को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख के अवलोकन और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्य सह-आरोपियों को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है, मामले की गुण-दाय पर कोई टिप्पणी किए बिना, विचारण की सुनवाई के दौरान आवेदक के पक्ष में अग्रिम जमानत देने का आधार प्रतीत होता है।

आवेदक नायब खान उपनाम निम्मा को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के साथ रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक को छूट प्राप्त मामलों को छोड़कर मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक दिन न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक के समक्ष जमा करना होगा।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

18 मार्च, 2026

अनुराग सिंह

(न्यायमूर्ति, सुभाष चंद्र शर्मा)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"